



POLICE COMMISSIONERATE



GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य /प्रेस विज्ञप्ति - दिनांक 12.01.2025

1.थाना सैक्टर 63 पुलिस एवं डीओटी टीम दिल्ली द्वारा संयुक्त रूप से कार्यवाही करते हुए अवैध अंतरराष्ट्रीय टेलीफोन एक्सचेंज का किया पर्दाफाश, 02 अभियुक्तगण गिरफ्तार, कब्जे से 01 डायलर, 03 सीपीयू, 02 मॉनिटर, 05 राउटर, 03 माउस, 03 कीपेड 06 चार्जर व अन्य उपकरण/दस्तावेज बरामद।

घटना का संक्षिप्त विवरण-- दिनांक 11.01.2025 को दूरसंचार विभाग (डीओटी) दिल्ली की टीम को इनपुट मिला कि जी-39 सैक्टर 63 नोएडा में मेसर्स किस्वा वेंचर्स इण्डिया प्रा0लि0 के प्रबंधक शिवम कुमार व देवकी नन्दन द्वारा अवैध अंतरराष्ट्रीय टेलीफोन एक्सचेंज संचालित कर यूएसए सेटअप का दुरुपयोग किया जा रहा है तथा भारत के बाहर विदेशों जैसे दुबई, सऊदी, ऑस्ट्रेलिया आदि से इंटरनेट के माध्यम से कॉल भारत में आ रही है, जिनको नार्मल टेलीफोन कॉल पर स्विच करके उन्हें भारत में डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, जिससे सरकारी खजाने और दूरसंचार को भारी राजस्व की हानी पहुंचायी जा रही है, जिस कारण प्रवर्तन एजेंसियां, राष्ट्रीय सुरक्षा को गंभीर खतरा पैदा हो रहा है।

कार्यवाही का विवरण-- उक्त इनपुट के आधार पर थाना सैक्टर 63, नोएडा पुलिस टीम एवं डीओटी टीम दिल्ली द्वारा संयुक्त रूप से जी-39 सैक्टर 63 पर जाकर जांच की गयी तो इनपुट सत्य पाया गया तथा एक अवैध अंतरराष्ट्रीय टेलीफोन एक्सचेंज संचालित हो रहा था, जिसके क्रम में **दिनांक 12.01.2025** थाना सैक्टर 63, नोएडा पुलिस टीम एवं डीओटी टीम दिल्ली द्वारा अवैध रूप से संचालित अंतरराष्ट्रीय टेलीफोन एक्सचेंज का पर्दाफाश करते हुए डायरेक्टर सहित कुल 02 अभियुक्तगण 1-देवकी नन्दन पुत्र श्री बनवारी लाल 2-शिवम पुत्र श्री सुभाष को जी-39 थर्ड फ्लोर सैक्टर 63 से **गिरफ्तार** किया गया तथा अभियुक्तगण के कब्जे से 01 डायलर, 03 सीपीयू, 02 मॉनिटर, 05 राउटर, 03 माउस, 03 कीपेड 06 चार्जर व अन्य उपकरण/दस्तावेज बरामद किया गया। अभियुक्तगण की गिरफ्तारी एवं उनसे बरामदगी के आधार पर थाना सैक्टर 63, नोएडा पर मु0अ0सं0 21/2025 धारा 318(4)/61(2) बी0एन0एस0 व 20/21/25 भारतीय तार अधिनियम 1885 व धारा 42 दूरसंचार अधिनियम पंजीकृत किया गया तथा अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी।

पूछताछ का विवरण-- गिरफ्तार अभियुक्त शिवम उपरोक्त ने पूछताछ में बताया कि मैं वर्ष 2014 में इन्टरनेशनल शिपिंग कॉर्पोरेशन कम्पनी कनाट पैलेस दिल्ली में फील्ड का काम करता था खाली समय में आफिस में बैठकर भी काम करता था आफिस में रेट देखना तथा आयात निर्यात का काम सीखता था। इन्टरनेशनल शिपिंग कॉर्पोरेशन कम्पनी का एक कस्टमर अरशद था। मेरी अरशद से अच्छी जान पहचान हो गयी थी। नोट बन्दी व जी0एस0टी0 के समय हमारी कम्पनी बन्द हो गयी थी। करीब 4 साल बाद माह सितम्बर वर्ष 2024 में अरशद की मेरे पास कॉल आयी और अरशद ने मुझसे नोएडा में एस0आई0पी0शिप कनेक्सन के बारे में जानकारी करने को कहा तब मैंने शिप कनेक्शन की जानकारी लेकर अरशद को दे दी तो अरशद की कम्पनी डाट्स कार्गो के नाम से बेंगलूर की होने के कारण वह नोएडा में कनेक्शन नहीं ले पाया था। अरशद ने मुझे नोएडा में एक कम्पनी अरेंज करने के लिये कहा इसी बीच मेरी बात एक अन्य व्यक्ति देवकी नन्दन से हुई देवकी नन्दन ने कहा कि बात कर लो मेरे पास कम्पनी है। अरशद ने बताया कि हम इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट प्रमोशन कॉल का काम करेंगे। उसके बाद मैंने तथा देवकी नन्दन ने जियो कम्पनी में चैनल पार्टनर सर्च किया तो हमारी वरुण नाम के व्यक्ति से बात हुई मैंने वरुण की मीटिंग अरशद से साहिबाबाद में करायी थी उसके बाद वरुण ने जियो के 250 शिप कनेक्सन (चैनल) दिलवाये फिर इसके बाद तब अरशद ने हमको एक मशीन भेजी जिसका नाम डायलर बताया तथा डायलर कैसे काम करेगा हमको समझाया। फिर अरशद ने हमसे वाईफाई लगाने के लिये कहा तो हमने पहले दो वाईफाई लगवाई फिर दो माह के बाद अरशद ने 200 शिप कनेक्सन(चैनल) वी0आई0 के तथा एक वाईफाई लेकर उसी डायलर से जोड़ने के लिये कहा तब हमने अरशद के कहने से 200 शिप कनेक्सन (चैनल) वी0आई0के लेकर उसी डायलर से कनेक्ट कर दिये यह पूरा सैटअप अरशद ने ही मुझसे लगवाया था। अरशद ने मुझको 20 हजार रुपये तथा देवकीनन्दन को 60 हजार रुपये पहले महीने की हिस्सेदारी दी तथा कहा कि बाद में इनकम के हिसाब से 25 प्रतिशत हिस्सेदारी दी जायेगी। अभियुक्त देवकी नन्दन उपरोक्त ने बताया कि जी-39 में मेरी कम्पनी इम्पोर्ट/एक्सपोर्ट के काम के लिये रजिस्टर्ड है। शिवम ने मुझको बताया कि इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट प्रमोशन कॉल का काम करने लिये कम्पनी की आवश्यकता है तो मैंने शिवम को अपनी कम्पनी के बारे में बताया तब शिवम ने किसी अरशद नाम के व्यक्ति से मेरी बात करायी तथा कहा कि अरशद इसमें अपना पैसा लगाएगा तथा आपकी कम्पनी होगी। मैं इस काम को ऑपरेट करूँगा। इस कम्पनी में हम तीनों लोग पार्टनर थे तथा मेरी एवं शिवम की भी 25 प्रतिशत की हिस्सेदारी थी। उपकरण डायलर के बारे में बताया कि इसका काम आटोमैटिक डाटावैस कॉल करना था, जिससे आटोमैटिक कॉल होती रहती थी। दोनो गिरफ्तार अभियुक्तगण यह भी बताया कि जो इन्टरनेशनल कॉल आती थी वह डायलर के माध्यम से काफी सस्ती हो जाती थी। इस काम से जो भी पैसा हम लोगों को प्राप्त होता था वह हम तीनों लोग आपस में बाट लेते थे। अन्य अभियुक्त की गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे हैं।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण--

1. देवकी नन्दन पुत्र श्री बनवारी लाल निवासी फ्लैट न0 के-212 निलाया ग्रीन राजनगर एक्सटेंशन थाना सिहानी गेट गाजियाबाद (उम्र 43 वर्ष) (डायरेक्टर)
2. शिवम पुत्र श्री सुभाष निवासी ग्राम लहडरा थाना बहादुरगढ जनपद हापुड हाल निवासी गली न0 शून्य मकान न0 बी0 284 ग्राउण्ड फ्लोर कौडली थाना न्यू अशोक नगर दिल्ली (उम्र 28 वर्ष) (मैनेजर)

पंजीकृत अभियोग व आपराधिक इतिहास का विवरण—

A. अभियुक्त देवकी नन्दन--

1. मु0अ0सं0 21/2025 धारा 318(4)/61(2) बी0एन0एस0 व 20/21/25 भारतीय तार अधिनियम 1885 व धारा 42 दूर संचार अधिनियम थाना सैक्टर 63, नोएडा

B. अभियुक्त शिवम--

1. मु0अ0सं0 21/2025 धारा 318(4)/61(2) बी0एन0एस0 व 20/21/25 भारतीय तार अधिनियम 1885 व धारा 42 दूर संचार अधिनियम थाना सैक्टर 63, नोएडा
2. मु0अ0सं0 169/2022 धारा 420/120बी भादवि व धारा 66 डी आईटी एक्ट थाना बीटा-2, नोएडा

बरामदगी का विवरण--

1. 01 सी0पी0यू0(इन्टैल)
2. 01 सी0पी0यू0(एच0पी0)
3. 01 सी0पी0यू0(इन्टैक्स)
4. 02 मोनीटर (एस्सर)
5. 01 मोनीटर फिलिप्स
6. 01 डायलर
7. 02 राउटर (एयरटैल)
8. 01 राउटर (सिक्वोर आई)
9. टी पी लिंक वाई फाई पोर्ट
- 10.01 जियो का सिप राउटर
- 11.01 वोडाफोन का सिप राउटर
- 12.01 मिडिया कनवेक्टर (साईरोटेक)
- 13.01 कीपैड (डैल)
- 14.01 कीपैड (एच0पी0)
- 15.01 कीपैड (लोजिटैक)
- 16.101 मुहर
- 17.03 नोटपैड
- 18.03 माउस
- 19.06 चार्जर/एडोप्टर व उपकरणों से सम्बन्धित डाटा केबिल